13/3/24	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील व अपार्थी वकील उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी के एक में T.I देने हेतु आग्रह किया गया। इस पर वादी एवं प्रतिवादी वकील दोनों की बहस को सुना गया। साथ ही संलग्न दस्तावेजों व

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested

T.I प्रा.पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन पश्चात् न्यायालय को वाद वादी के हक में प्रथम दृष्टया जाना प्रतीत होता है, साथ ही यदि वादी ~~को T.I~~ के हक में T.I जारी नहीं की जाती है तो वादी को अपूरणीय क्षतिकारित हो सकती है तथा वादी के हक का सुविधा का संतुलन भी बिगड़ सकता है।

अतः वादी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या-1 को T.I से पाबंद किया जाता है कि वह प्रा. पत्र के खाता संख्या-3 में वर्णित आराजियात, बाड़ा आदि को वाद के अंतिम निर्णय तक खुर्द-बुर्द ना करे, किसी तरह का हस्तांतरण ना करे। वादी को भूमि से बेदखल ना करे तथा प्रतिवादी नं. 2 उक्त विवादित आराजियात पर होने वाले किसी भी तरह के हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीयन ना करे।

पत्रावली फैसल होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.03.28 16:04:24 IST
Reason: SelfAttested